



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 16 राँची, बुधवार 28 बैशाख, 1944 (श०)
18 मई, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 107-110

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2022

संख्या-15/सा०अव०-03-01/2022 का.-3058--राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-541 दिनांक-09.04.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 हेतु कार्यक्रम अधिसूचित की गयी है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की तिथि दिनांक-14.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022 एवं 27.05.2022 को निर्धारित है ।

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के मतदान के अवसर पर झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के संबंधित प्रखण्डों में मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक-14.05.2022 (शनिवार), 19.05.2022 (गुरुवार), 24.05.2022 (मंगलवार) एवं 27.05.2022 (शुक्रवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2022

संख्या-15/सा०अव०-03-01/2022 का.-3059—झारखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1046 दिनांक-06.05.2022 के द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित हैं:-

- (क) मतदान के दिन अर्थात् 14.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022 एवं 27.05.2022 को संबंधित पंचायत क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे ।
- (ख) कभी-कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर पंचायत क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, परन्तु वह पंचायत क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएँ दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो Casual worker के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं, एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, तो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी ।
- (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) के अनुसार Daily Wage/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा ।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) एवं राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक-1046 दिनांक-06.05.2022 द्वारा संसूचित दिशा-निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BARKHA VERMA अन्य नाम BARKHA BURMAN पति MANISH VERMA, शपथ पत्र सं० 467, दिनांक 4 मई, 2022 के अनुसार BARKHA VERMA के नाम से जानी जाऊँगी ।

BARKHA VERMA एवं BARKHA BURMAN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- FLAT NO.- 1C,
BLOCK B5,
SAIL CITY, NEW PUNDAG,
P.S.- JAGANNATHPUR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ABHINAV SHARMA अन्य नाम ABHINAV पिता VIVEKANAND, शपथ पत्र सं० 442, दिनांक 7 मई, 2022 के अनुसार ABHINAV SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा ।

ABHINAV SHARMA एवं ABHINAV दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT- FLAT NO.- 403,
SUPRABHAT APARTMENT,
SOUTH OFFICE PARA,
DORANDA, RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND
